न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – पीयुष समारिया (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
026/2023 (रे.अ.) (GCMS 2023/221)	18.08.2023	20.09.2023

अनवान

सागरमल पिता गौरीलाल जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी कानपुरा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़।

अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

प्रत्यर्थी

उपस्थिति :– रमेश चन्द्र पालीवाल — अपीलार्थी
भैरूलाल सालवी (राजकीय अधिवक्ता) — प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय व आदेश न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ बमिसल नंबर 817/2022–23 निर्णय व आदेश दिनांक 05.12.2022

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध प्रत्यर्थी के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 05.12.2022 न्याय नियम एवं वाक्याती तथ्यों के विपरित होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का उदपुरा ने अपीलार्थी के विरूद्ध रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि अपीलार्थी/विपक्षी ने मौजा ग्राम बरसिंग का गुढा की चरनोट आराजी संख्या 666/228 रकबा 1.29 हैक्टेयर भूमि पर पडत पर नाजायज कब्जा कर रखा है अतः नियमानुसार कार्यवाही कर अतिक्रमित कर बेदखल किया जावें। जिसपर अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर निवेदन किया कि अपीलार्थी ने मौजा ग्राम बरसिंग का गुढ़ा तहसील चित्तौड़गढ़ की चरनोट आराजी संख्या 666/228 पर किसी प्रकार से अतिक्रमण नहीं किया है तत्पश्चात् भी अधीनस्थ न्यायालय ने चरनोट भूमि पर पड़त पर अतिक्रमण मानते हुये अतिक्रमी घोषित किया व अतिक्रमण के जुर्म में पेनाल्टी 50 गुना अर्थात 65/– की शास्ति आारोपित करते हुये बेदखली के आदेश पारित कर दिये जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नोटिस की पालना में अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ, व पडत आराजीयात

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पर कब्जा नहीं होना जाहिर किया तत्पश्चात अपीलार्थी को यह कह कर वापस भेज दिया गया कि आपको निर्णय से अवगत करा दिया जावेगा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को बिना सूचना दिये दिनांक 05.12.2022 को ही आदेश व निर्णय पारित कर दिया जिसकी सर्व प्रथम जानकारी दिनाक 22.06.2023 को संबंधित पटवारी हल्का द्वारा जानकारी देने पर हुयी। जिस पर अपीलार्थी ने दिनांक 22.06.2023 को आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया व नकल दिनांक 27.06.2023 को प्राप्त कर अधिवक्ता से कानूनी राय प्राप्त कर अपील अपीलार्थी बिना किसी विलंब के न्यायालय में पेश है। फिर भी अपील में हुये विलंब की विस्तारित परमाने हेतु प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम मय शपथ–पत्र पेश है। अंत में प्रार्थना की गई कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय व आदेश दिनांक 05.12.2022 निरस्त फरमाया जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

इस पर अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। प्रत्यर्थी की और से राजकीय अधिवक्ता हाजिर आये। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। इस पर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/राजस्व/2023/114 दिनांक 19.09.2023 से से उनकी मूल पत्रावली संख्या 817/2022–23 निर्णय दिनांक 05.12.2022 अनवानी सरकार बनाम सागरमल पिता गौरीलाल गुर्जर निवासी कानपुरा अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को प्रेषित की गई जो कि रिकार्ड पर होकर पत्रावली के हम किता है।

दिनांक 19.09.2023 को राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण में सीधे बहस किये जाने का निवेदन किया। इस प्रकरण को सीधे बहस पत्रावली हेतु रखा गया।

सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलार्थी एवं राजकीय अधिवक्ता द्वारा की गई बहस मियाद प्रार्थना–पत्र पर उभयपक्ष को सुना गया। अधिवक्ता अपीलार्थी ने मियाद प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नोटिस की पालना में अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ, व पडत आराजीयात पर कब्जा नहीं होना जाहिर किया तत्पश्चात अपीलार्थी को यह कह कर वापस भेज दिया गया कि आपको निर्णय से अवगत करा दिया जावेगा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को बिना सूचना दिये दिनांक 05.12.2022 को ही आदेश व निर्णय पारित कर दिया जिसकी सर्व प्रथम जानकारी दिनाक 22.06.2023 को संबंधित पटवारी हल्का द्वारा जानकारी देने पर हुयी। जिस पर अपीलार्थी ने दिनांक 22.06.2023 को आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया व नकल दिनांक 27.06.2023 को प्राप्त कर अधिवक्ता से कानूनी राय प्राप्त कर अपील अपीलार्थी बिना किसी विलंब के न्यायालय में पेश है।

इस पर विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया और अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेखों पर दृष्टिपात कराया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण विधिक प्रकिया अपनाई जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया जाकर बाद तामील नियमानुसार निर्णय पारित किया गया है, अपीलार्थी/अप्रार्थी को नोटिस का तामील होने से प्रकरण की जानकारी हो चुकी थी, एवं अधीनस्थ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय में दिनांक 05.12.2022 को अपीलार्थी स्वयं उपस्थित रहे एवं अतिक्रमण करना स्वीकार किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि पूर्वक निर्णय पारित किया, ऐसी स्थिति में जानकारी होने के बावजूद अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई जिस से अपील अपीलार्थी मियाद के बिन्दु पर खारीज फरमाया जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम समाप्त की। इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने बताया कि अपीलार्थी ने अपीलार्थी का अपील उद्देश्य व्यर्थ हो जायेगा और अपीलार्थी के विरूद्ध बेदखली कार्यवाही होने से भारी परेशानी बढ़ जायेगी जिससे भी अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी को क्षम्य किया जाना न्यायोचित हैं। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस प्रार्थना–पत्र समाप्त की।

हमने पत्रावली को अवलोकन किया। मियाद प्रार्थना–पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ–पत्र का अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस मियाद प्रार्थना–पत्र का मनन किया। प्रकरण में मियाद के साथ–साथ गुणावगुण पर भी देखा जाना उचित प्रतीत होता है, अतः प्रार्थना–पत्र के निर्णय को रिवर्ज करते हुये पत्रावली को गुणावगुण पर सुनने के आदेश दिये गये।

इस पर विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 05.12.2022 न्याय नियम एवं वाक्याती तथ्यों के विपरित होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का उदपुरा ने अपीलार्थी के विरूद्ध रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि अपीलार्थी/विपक्षी ने मौजा ग्राम बरसिंग का गुढा की चरनोट आराजी संख्या 666/228 रकबा 1.29 हैक्टेयर भूमि पर पडत पर नाजायज कब्जा कर रखा है अतः नियमानुसार कार्यवाही कर अतिक्रमित कर बेदखल किया जावें।

इसके जवाब में राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि विवादित आराजीयात किस्म चरागाह दर्ज अभिलिखित है एवं अपीलांट का कब्जा चरागाह भूमि पर होने से नियमन की पात्रता नहीं रखता है, जिससे अपीलांट की अपील सारहीन होकर खारीज किये जाने योग्य है। प्रचलित नियमों के अनुसार चरागाह की भूमि आवंटन/नियमन योग्य नहीं है। चरागाह की भूमि पशुओं की चराई के लिये आरक्षित होती है, जिस पर अतिक्रमण पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये। इसके साथ ही अपीलांट द्वारा स्वयं अपने अपील मेमों में आराजीयात जैरबहस पर अपना अतिक्रमण स्वीकार किया है, ऐसी स्थिति में चरागाह भूमि पर अतिक्रमण को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता है। अतः तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ के निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं होने से अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है, एवं प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किये जाने का निवेदन की ईश्तदुआ के साथ विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने बताया कि अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर निवेदन किया कि अपीलार्थी ने मौजा ग्राम बरसिंग का गुढ़ा तहसील चित्तौड़गढ़ की चरनोट आराजी संख्या 666/228 पर किसी प्रकार से अतिक्रमण नहीं किया है तत्पश्चात् भी अधीनस्थ न्यायालय ने चरनोट भूमि पर पड़त पर अतिक्रमण मानते हुये अतिक्रमी घोषित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किया व अतिक्रमण के जुर्म में पेनाल्टी 50 गुना अर्थात 65/– की शास्ति आारोपित करते हुये बेदखली के आदेश पारित कर दिये जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय व आदेश दिनांक 05.12.2022 निरस्त फरमाया जाने का आदेश प्रदान कराया जावें। इसी ईश्तुदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का बागौर अवलोकन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावलियों का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन कराया। हमने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का अवलोकन किया। अधिनियम में धारा 91 के तहत व्यवस्था की गई है कि :–

91 Unauthorlsed occupation of Land - (1) Any person who occupies or continues to occupy any land without lawful monthly shall be regarded as a trespasser and may be summarily evicted there from by the Tehsildar at any time of his motion or upon the application of a local authority at whose disposal such land has been placed, and 69[any crop standing, or any} building or other construction erected. or anything deposited on such land shall, if not removed with in such reasonable time as the Tehsildar may from time to time fix for the purpose, be liable to be forfeited to the State and to be disposed of 1[in the case of any such crop, in the manner he thinks fit and in other cases] as the Collector may direct:

Provided that the Tehsildar may in lieu of ordering the forfeiture of any such building or other construction, order the demolition of the whole or any part thereof.

1[(2) Such trespasser shall further be liable to pay, for 'each agricultural year during the whole or any part where of has been in such unauthorized occupation of the land, a penalty which may extend to fifty times the annual rent, or assessment, as the case may be, for the first act of trespass. In the case of each subsequent ad of trespass, he shall by the order of Tehsildar, be liable to commitment to civic person for a term which may extend to three months and to pay penalty to the extent as aforesaid. The amount of such penalty shall be recovered as an arrear of land revenue, and]

1[(3) Where the trespasser ordered to be committed to civil prison under subsection (2) satisfies the Tehsildar by whom he is ordered to be committed to civil prison that he intends to present an appeal, the Tehsildar shall order that such trespasser be released on his own bond for such periods will afford him sufficient time present the appeal and obtain stay order from the Appellate Court and such order shall so long as he is so released on bond be deemed to be suspended]

(4) In any of the following cases, namely.-

(i) where the trespasser does neither vacate the land not make appearance in response to the notice issue under sub-section (3), or

(ii) where in response to such notice, the trespasser does not vacate the land and makes appearance but-

(a) does not show any such cause, or

(b) makes any representation which is rejected after such inquiry and hearing as may be necessary in the circumstances of the case, the Tehsildar shall, unless, in the case covered by clause (ii) the trespasser under-takes to vacate the land within a week's time- and vacates it whine such time order the removal of the trespasser from such land and shall remove or depute any person, to remove him therefrom and take possession thereof; and if the Tehsildar or the person so deputed is opposed or !impeded in taking possession of such land, the Tehsildar shall apply to a Magistrate having jurisdiction and such Magistrate shall enforce the surrender of the land to the Tehsildar.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(5) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections, the Tehsildar may, in case any such land belongs to the category specified in clause (ii) of the proviso to Section 97, sell it, with the approval of the Sub-Divisional Officer, to the trespasser upon payment by him of the premium therefor at the rate fixed under Section 96 and applicable to such land in addition to the assessment and penalty recoverable from him under sub-section (2) in respect of the whole period of unlawful occupation

1[(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) - (a) whoever occupies any land without lawful authority or, having occupied such land before corning into force of the Rajasthan Land Revenue (Amendment) Act, 1992, fails to remove such occupation within fifteen days from the date of service of a notice in writing calling upon him to do so by the Tehs!Idar shall, on convich`on, be punished with simple imprison- ment which shall not be less than one month but which may extend to three years and with fine which'may extend to twenty thousand rupees; and

(b) whoever, being an employee of the State Government specifically entrusted by an order of the Collector in writing with the duty to stop or prevent an offence punishable under this sub-section wilfully or knowingly neglects or deliberately omits to stop of prevent such offence, shall, on conviction, be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which may extend to one thousand rupees or with both :

Provided that, in the case of an offence under clause (a), the court may for any adequate or special reason to be mentioned in the judgment impose a sentence of imprisonment for a term of less than one month :

Provided also that no investigation of an offence under clause (a) of this sub section shall be made by an officer below the rank of a Deputy Superintendent of Police :

Provided further that no court shall take cognizance of an offence under clause (b) except with the previous sanction of the Collector.

अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेखों का गहनता पूर्वक अवलोकन/ परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का मनन किया। भूमि चरागाह दर्ज होने से पटवारी हल्का के प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करके बेदखली, शास्ति आरोपण किया गया। चारागाह भूमि गांव के मवेशी चराने की भूमि होती है, इस पर अतिक्रमण को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता है। वर्तमान में चरागाह दर्ज रिकार्ड है जिस पर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण किया गया एवं अपीलांट द्वारा आराजीयात जैरबहस पर अपना अतिक्रमण होना अपील मेमों में अंकित किया गया है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाकर विधिक निर्णय पारित किया गया है। इसके साथ अपीलार्थी द्वारा इस तथ्य को भी उठाया गया है कि अपीलार्थी का आराजीयात जैरबहस पर कब्जा नहीं है, इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से जाहिर आता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा स्वयं कब्जा होना स्वीकार किया गया है, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध परचा मौका दिनांक 06.08.2022 मौतबिरान की उपस्थिति में हल्का पटवारी द्वारा तैयार किया गया है, जिससे पुष्टि होती है कि अपीलार्थी द्वारा आराजीयात जैरबहस पर अतिक्रमण किया गया है, एवं प्रश्नगत आराजीयात पर अपीलार्थी का किसी भी प्रकार से हक हिस्सा निहित नहीं होना प्रमाणित पाया जाता है। इसके साथ ही वर्तमान परिस्थितियों में प्रश्नगत आराजीयात चरागाह दर्ज रिकार्ड है जिस पर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण किया गया है, विवादित आराजीयात चरागाह दर्ज रेकार्ड है एवं चरागाह पर किसी भी प्रकार से अतिक्रमण को प्रोत्साहन दिया जाना उचित नहीं है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से प्राप्त अभिलेख का बागौर अवलोकन, परिशीलन/परीक्षण किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.12.2022 का अवलोकन किया। अपीलार्थी/अप्रार्थीगण को जारी नोटिस का गहनता पूर्वक अवलोकन किया, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर नियमानुसार निर्णय पारित किया जाना प्रतीत होता है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.12.2022 विधि सम्मत होकर इसमे किसी प्रकार के संशोधन एवं हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है, एवं अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.12.2022 संपुष्ट किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

हस्तगत प्रकरण में मियाद प्रार्थना–पत्र पर निर्णय पारित किया जाना शेष है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अपील मेमों के साथ प्रस्तुत दस्तावेज प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.12.2022 अपीलार्थी की उपस्थिति में पारित किया गया है, जिसकी जानकारी अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के फर्द अहकाम से प्रमाणित पाई जाती है, ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी प्रस्तुती में विलम्ब को क्षम्य किये जाने का कोई ठोस आधार अपीलार्थी पत्रावली पर प्रस्तुत करने में पूर्णतया असफल रहे जिससे अपील अपीलार्थी मियाद के बिन्दु पर पोषणीय नहीं पाई जाती है। इसके साथ ही उपरांकित विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलार्थी गुणावगुण पर भी खारीज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर न्यायालय हाजा में विचाराधीन राजस्व अपील प्रकरण संख्या 023/2021(रा.अ.) अनवानी सागरमल बनाम सरकार अपील अपीलार्थी मियाद के बिन्दु पर एवं गुणावगुण (दोनों) पर बलहीन होकर सारहीन होने से खारीज की जाती है, एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय प्रकरण संख्या 817/2022–23 निर्णय दिनांक 05.12.2022 अनवानी सरकार बनाम सागरमल को यथावत रखा जाकर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के निर्णय दिनांक 05.12.2022 की पुष्टि की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **20.09.2023** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official